

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2834—पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 20-7-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 6/अपील/2015-16.

1—भागचन्द्र पुत्र स्व०श्री रामदयाल

2—सुल्तानसिंह पुत्र स्व०श्री रामदयाल

निवासीगण ग्राम खुरैरी तहसील व जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरुद्ध

1—रामवीर सिंह पुत्र श्री देवीसिंह

निवासी रणधीर कॉलोनी तोमर आटाचकी के पास,

ग्वालियर

2—रामसिंह पुत्र श्री रामप्रसाद

निवासी ग्राम लेहचुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड

.....अनावेदकगण

3—महेशकुमार पुत्र श्री भरोसीलाल

निवासी सौदागर संतर मुरार

.....फॉरमल प्रतिप्रार्थीगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर०डी०शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-7-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

ग्वालियर

2/ प्रकरण के तथ्य सेंक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खुरैरी की भूमि सर्वे क्रमांक 1074 रकबा 0.094 हैक्टेयर तहसील ग्वालियर में स्थित होकर अनावेदक क्रमांक 1 उक्त भूमि का भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है। अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा मुरार के समक्ष नामान्तरण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 5-1-2005 को पारित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 20-5-2015 21-7-2015 को आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20-7-2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) विवादित सर्वे नम्बर 1074 रकबा 0.240 हैक्टैयर में से रकबा 0.120 हैक्टैयर भूमिस्वामी चतुरोबाई थी, चतुरोबाई ने रामगोपाल के हित में मुख्यारनामा संपादित किया था। चतुरोबाई के स्वामित्व की भूमि रकबा 0.120 हैक्टैयर को जर्ये विक्य पत्र दिनांक 14-5-1993 को महेश कुमार को विक्य की गई। अनावेदक क्रमांक 3 को विक्य करने के पश्चात् चतुरोबाई के स्वत्व का कोई रकबा बकाया शेष नहीं था।

(2) जब चतुरोबाई का कोई रकबा शेष नहीं था फिर भी राजस्व अभिलेख में सड़क के लिये अधिग्रहित किये गये रकबे का अमल न होने का फायदा उठाकर दूसरा मुख्यारनामा अशोक राणा के हक में संपादित कर विवादित भूमि जर्ये मुख्यारआम अनावेदक क्रमांक 1 को विक्य कर दी। विवादित भूमि में चतुरोबाई का कोई स्वत्व नहीं था इसलिये अनावेदक क्रमांक 1 के हक में हुआ विक्य पत्र शून्य है। इस तथ्य पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं कर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण स्वीकार किया गया है, जबकि विवादित सर्वे क्रमांक 1074 का पूर्णतः अभिलेख के विपरीत है ।

(4) अनावेदक क्रमांक 1 ने प्रथम अपील के मूल आदेश दिनांक 20-5-15 तथा रिव्यु आदेश दिनांक 21-7-15 के विरुद्ध एक ही अपील की है जबकि मूल आदेश दिनांक 20-5-15 का है मूल आदेश के विरुद्ध अपील अवधि बाह्य थी इस पर विचार न कर कानूनी भूल की है ।

(5) अनावेदक क्रमांक 1 का पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 21-7-15 का है अनावेदक ने रिव्यु आदेश की अपील की है जबकि रिव्यु में पारित आदेश अपील योग्य न होकर निगरानी योग्य था जिसकी अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थी ।

(6) अंत में आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 3-11-04 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अपील ही नहीं की गई थी तब पंजी क्रमांक 16 / 15-9-2004 में पारित आदेश 5-1-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में जिसके द्वारा शिवनारायण, नाहरसिंह एवं राजकुमार के पक्ष में सर्वे क्रमांक 1088 पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया था जो कि अनावेदक क्रमांक 1 रामवीर सिंह के सर्वे क्रमांक 1074 से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में सर्वे क्रमांक 1074 के विषय में पारित नामान्तरण आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता है ।

(2) विवादित भूमि भूमिस्वामी रामसिंह एवं चतुरोबाई द्वारा रजिस्टर्ड मुख्यारनामा द्वारा अशोक राणा को अपना मुख्यारआम नियुक्त किया जा चुका था तब महिला चतुरोबाई को अपने 1/2 हिस्से का रामगोपाल को मुख्यारआम नियुक्त करने का अधिकारी था

- (3) जब केता एवं विकेता अंतरण करने के लिये सक्षम हो, विक्य की गई भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया हो एवं केता को अनुबंध दिनांक 23-3-1993 को कब्जा सौंप दिया गया हो तब रजिस्ट्रीकरण के अभाव में विक्य पूर्ण होना माना जायेगा ।
- (4) चतुरोबाई द्वारा अपने सहस्वामी के साथ पूर्व में निष्पादित अनुबंध पत्र एवं रजिस्ट्रीकृत मुख्यारनामा के विपरीत कुछ भी कहने से विबंधित है ।
- (5) चतुरोबाई द्वारा अपने सहस्वामी के साथ अशोक राणा को भूमि विक्य निष्पादन करने के पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे तब आवेदकगण के पक्ष में किये गये विक्य के आधार पर आवेदकगण को नामान्तरण की अधिकारिता ही नहीं है ।
- (6) आवेदकगण नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार नहीं थे, इस कारण उन्हें अपील अनुमति प्राप्त किये बिना अपील का अधिकार नहीं था ।
- (7) प्रथम अपील न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर आदेश किया जाना आबद्धकर कर्त्तव्य है, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।
- (8) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिवत् आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।
- (9) अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप आक्षेपित नहीं है किन्तु आदेश के अंतिम पैरा में आवेदकगण को नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, इस स्वतंत्रता को विलोपित किया जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक के आवेदन पर बिना आवेदक पक्ष को सुने नामान्तरण आदेश पारित किया, जबकि प्रथमदृष्ट्या अनावेदक ने पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भूमि क्य की थी तथा पॉवर ऑफ अटॉर्नी किसी भी स्तर पर पेश नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश में जो विसंगतियाँ पाई गई उसे देखते हुये उनके द्वारा सही निरस्ती की कार्यवाही की गई है । अपर आयुक्त द्वारा यह मानने में कोई आधार नहीं है

कि अनुविभागीय अधिकारी ने पर्याप्त जॉच नहीं की है। अतः अपर आयुक्ता द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने रिथर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-7-2016 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी गुरार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-5-2015 रिथर रखा जाता है। निगरानी रकीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व गण्डल, गण्डप्रदेश

ग्वालियर